संख्या-7/2015/340/सैंतीस-2-2015-1(36)/2013

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-11 मार्च, 2015

विषयः- **राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चकगंजरिया लखनऊ में उपलब्ध भवनों/सुविधाओं को रहमान खेड़ा, लखनऊ पर पुनर्स्थापित करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-56/पशुधन-2(16)डी.एफ.एस./2014-15, दिनांक-12.02.2015 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-1422/सैंतीस-2-2014-1(36)/2013 दिनांक 06.06.2014, संख्या-2617/सैंतीस-2-2014-1(36)/2013 दिनांक 10.09.2014, तथा संख्या-3662/सैंतीस-2-2014-1(36)/2013 दिनांक 13.01.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-पशु तथा भैंस विकास-05-चकगंजरिया फार्म की कतिपय इकाईयों की पुनर्स्थापना-0503-राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-321.05 लाख (रूपये तीन करोड़ इक्कीस लाख पाँच हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि प्रश्नगत योजनान्तर्ग प्राविधानित धनराशि की सीमा तक आवंटित अतिरिक्त परिव्यय को वित्तीय वर्ष के अन्त में होने वाली बचतों मे समायोजित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं निर्धारित गाइडलाईन्स के अनुसार करते हुये व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दि0-22.07.2014 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.1994 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय प्रकरण में नामित कार्यदायी संस्था ´उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0' द्वारा गठित आगणनों पर व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.12.2014 में प्राप्त अनुमोदन के अनुरूप ही किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण-वितरण अधिकारी हो तो, संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृति धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में जमा न किया जाय तथा जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत है, स्वीकृति की सीमा तक उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय किया जाय।

5- उपर्युक्त स्वीकृति ही अकेले ऐसे किसी व्यय को करने का प्राधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेश के अन्तर्गत शासकीय अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसे व्यय करने से पूर्व शासन को पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

6- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-पशु तथा भैंस विकास-05-चकगंजरिया फार्म की कतिपय इकाईयों की पुनर्स्थापना-0503-राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**सुरेन्द्र सिंह**)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-7/2015/340(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद बादशाह बाग लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
8. संबंधित कार्यदायी संस्था।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।